कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, खीरी।

संख्याः 1001 /दैनिक व्यवस्थापन/आफर/खीरी/दिनांकः 31 मार्च, 2019

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद खीरी में देशी शराब की 109 दुकानों, विदेशी मदिरा की 03 दुकानों, बियर की 02 दुकानों व माडल शाप की 01 दुकान तथा भांग की 06 फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन दैनिक लाइसेंस फीस/एम0जी0क्यू0 पर दिनांकः 01.04.2019 से दिनांकः 15.04.2019 अथवा नियमित व्यवस्थापन होने की तिथि जो पहले हो, तक के लिये किया जाना है। दैनिक व्यवस्थापन हेतु दुकानवार निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के समतुल्य अथवा अधिक के आफर स्वीकार किये जायेगें। आफर दिनांक 01.04.2019 को 1:00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, खीरी में दिये जा सकते है। प्राप्त आफर में सर्वोच्च आफरदाता के पक्ष में दुकान के आवंटन/चयन का कार्य दिनांकः01.04.2019 को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, खीरी में अपरान्ह 2:00 बजे किया जायेगा। प्रत्येक आफरदाता उक्त समय/तिथि/स्थान पर उपस्थित रह सकते है।

आफर के प्रारूप/दुकानवार न्यूनतम एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, खीरी के सूचनापट/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
खीरी।

संख्याः /दैनिक व्यवस्थापन/आफर/खीरी/दिनांकः तदैव।

संख्या तथा दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सूचना विज्ञान अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– सम्पादक दैनिक समाचार–पत्र, अमर उजाला / हिन्दुस्तान लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान व न्यूनतम शासकीय दर पर प्रत्येक दशा में अपने अगले अंक में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराकर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश संख्या–ए–20851–125/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2017–18 दिनांकः इलाहाबादःदिसम्बर, 16, 2016 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3– सहायक सूचना निदेशक, जनपद–खीरी

4– समस्त तहसीलदार, जनपद–खीरी।

5– समस्त आबकारी निरीक्षक, जनपद–खीरी।

6– नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट–खीरी।

7– कार्यालय नोटिस बोर्ड।

31.3.19

जिला आबकारी अधिकारी,
खीरी।